

## न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर।

पीठासीन अधिकारी : रूपा गुप्ता,  
आर.एच.जे.एस  
क्लेम याचिका संख्या : 350 सन् 2006

- 1— इलियास खां पुत्र श्री धारू खां जाति मेव उम्र करीब 25 साल  
निवासी नांगल बंजीरका, तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

—प्रार्थी

— बनाम —

- 1— जफरुद्दीन पुत्र श्री कन्हैया खां निवासी ग्राम चुमरावली शेख  
तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर—चालक वाहन ट्रक संख्या आर.  
जे. 05 जी.ए. 0386
- 2— नसीर खां पुत्र श्री पांचया खां निवासी ग्राम मेव बस्ती तहसील  
लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर—मालिक वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 05  
जी.ए. 0386
- 3— दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मण्डलीय कार्यालय  
लखण्डा वाला कुआ, बिजली घर के चौराहे के पास, अलवर—  
बीमाकर्ता कम्पनी वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 05 जी.ए. 0386

—अप्रार्थीगण

“प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम 1988”

उपस्थित :-

विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील खण्डेलवाल—प्रार्थी

विद्वान अधिवक्ता श्री कमल रावत—अप्रार्थी संख्या—1 व 2

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर—अप्रार्थी संख्या—3

—: निर्णय :-

दिनांक: 09.11.2016

प्रार्थी इलियास खां ने यह क्लेम याचिका अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है।

संक्षेप में मोटरयान दुर्घटना के तथ्य इस प्रकार हैं, कि दिनांक 21.06. 2006 को रात्रि सुबह करीब 4.00 बजे प्रार्थी अलवर से अशोका लीलैण्ड का चेचिस लेकर अजमेर की ओर जा रहा था तो रात्रि करीब सुबह 4.00 बजे

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर जैन गैस्ट हाऊस के पास पहुंचा तो पीछे से वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 05 जी.ए. 0386 का चालक ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसने पीछे से प्रार्थी के चेचिस के टक्कर मार दी, जिससे चेचिस पलट गया और प्रार्थी के शरीर पर गंभीर प्रकृति की चोटें आई, जिन चोटों के कारण प्रार्थी के शरीर पर स्थायी अयोग्यता आ गई। कथित दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 169/2006 पुलिस थाना दूदू जिला जयपुर पर दर्ज हुई, जिस रिपोर्ट के आधार पर मुकामी पुलिस के द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 की गलती एवं लापरवाही मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया। अतः उचित प्रतिकर दिलाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से क्लेम याचिका के अधिकांश तथ्यों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए जबाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या-1 के द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है तथा न ही अप्रार्थी संख्या-2 के वाहन से कोई दुर्घटना घटित हुई है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थी संख्या-1 व 2 से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या-2 का उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या-3 के यहाँ बीमित रहा है, ऐसी स्थिति में किसी भी दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिये बीमा कम्पनी अदायगी के लिये जिम्मेदार है। अतः उनके विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या-3 बीमा कम्पनी की ओर से क्लेम याचिका के अधिकांश तथ्यों को गलत एवं अस्वीकार बताते हुए जबाब पेश कर कथन किया है कि कथित दुर्घटना में वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 05 जी.ए. 0386 की कोई लिप्तता नहीं रही है, कथित दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी 5 दिन की असाधारण देरी से दर्ज करवाई गई है, जिस देरी का कोई उचित कारण अंकित नहीं किया गया है तथा प्रार्थी ने वाहन चालक, मालिक एवं मुकामी पुलिस से मिलित कर उक्त वाहन को बाद में प्रतिकर प्राप्त करने की नीयत से लिप्त किया गया है तथा फर्जी तथ्यों के आधार पर क्लेम पेश किया गया है। नक्शा मौका के अवलोकन से भी प्रकट है कि प्रार्थी वाहन को नेशनल हाईवे पर गलत तरीके से अपनी लेन को छोड़कर चला रहा था, जो कि यातायात नियमों के विरुद्ध है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी स्वयं भी लापरवाह रहा है, जिसके लिये वह कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वक्त दुर्घटना वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 05 जी.ए. 0386 को असम्यक लाईसेंसधारी व्यक्ति के द्वारा गतिमान

किया जा रहा था, जिसके पास उक्त वाहन को चलाने का वैद्य एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था। कथित दुर्घटना की सूचना बीमा कम्पनी को निर्धारित समयावधि के अन्दर नहीं दी गई। प्रार्थी ने याचिका मनगढन्त एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर मात्र क्लेम राशि प्राप्त करने की नीयत से पेश की गई है। अतः उनके विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये :-

1. आया विवादित दुर्घटना दिनांक 21.06.2006 को चालक विपक्षी संख्या 1 द्वारा वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 05 जी.ए. 0386 को गफलत, लापरवाही एवं तेज गति से चलाकर दुर्घटना कारित की गई, जिसमें इलियास दुर्घटना में घायल हो गया ?
2. आया प्रार्थी अपने क्लेम प्रार्थनापत्र में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हाँ तो किससे व किस कदर ?
3. आया अप्रार्थीगण चालक, अप्रार्थी संख्या-2 के नियोजन एवं हितार्थ कार्य कर रहा था ?
4. आया विपक्षी संख्या 3 के जबाब प्रार्थनापत्र की आपत्तियां वर्णित कारणों से बीमा कम्पनी उत्तरदायी नहीं है ?
5. अनुतोष ?

उपर्युक्त विवाद्यकों को प्रमाणित करने के क्रम में प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू. 1 इलियास खां को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 61 दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया एवं साक्ष्य प्रार्थी बंद की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद अवसर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, जिस पर उनकी साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा उभय पक्षकारान् की बहस सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 03.01.2015 के द्वारा प्रार्थी इलियास की क्लेम याचिका विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध आंशिक रूप से 2,98,141 रुपये की प्रतिकर राशि अदा करने के लिये स्वीकार कर ली गई, तत्पश्चात् प्रार्थी इलियास खां के द्वारा उक्त निर्णय से व्यथित होकर इसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में की गई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा एस.बी. सिविल मिस. अपील नम्बर 1956/2015 इलियास खां बनाम जफरुद्दीन व अन्य में विवाद्यक संख्या 2 की

सीमा तक मामले को अपास्त करते हुए इस अधिकरण को उक्त क्लेम याचिका इस निर्देश के साथ भिजवाई गई कि पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक विनिश्चयों के प्रकाश में पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में अपने विवेक के अनुसार अपना निर्णय पुनः पारित करते हुए मामले का निस्तारण करें।

विवाद्यक संख्या 2 पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

### **विवाद्यक संख्या 2**

इस विवाद्यक के संबंध में न्यायालय को केवल मात्र यह तय करना है कि प्रार्थी कितनी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं, एवं किस विपक्षी से ? इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रार्थी ए.डब्ल्यू. 1 इलियास ने न्यायालय में अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि दुर्घटना से पूर्व मैं परिवहन यान चलाने का कार्य किया करता था, जिससे मैं करीब 6000 रुपये प्रतिमाह कमा लिया करता था। कथित दुर्घटना में मेरे मुंह पर गंभीर प्रकृति की चोट आने के कारण मेरे बांये तरफ का जबड़ा टूट गया, जिस पर सवाईमानसिंह चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मेरे जबड़े का ऑपरेशन किया, जिस कारण मैं करीब 6 माह तक मुंह से कोई ठोस चीज नहीं खा सका। कथित दुर्घटना में मेरे हाथ की दो अंगुलियां कट गई तथा दाहिने हाथ में अस्थि भंग हो गया। मेरे हाथ में 3 माह तक प्लास्टर बंधा रहा। कथित दुर्घटना में मेरे दाहिने हाथ की कोहनी व कलाई पर गंभीर चोट आने के कारण मेरा दाया हाथ पूर्ण रूप से खराब हो गया, जिस कारण अब मैं परिवहन यान चलाने में असक्षम हो गया हूँ। चोटों के कारण मेरे शरीर पर स्थायी अयोग्यता आ गई। मुझे रोजमर्रा के कार्य करने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मेरी भविष्य की आय हमेशा के लिये खत्म हो गई तथा अब कोई आय का जरिया नहीं रहा है। मेरा परिवार मेरी आय पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, जो मेरी आय से हमेशा के लिये वंचित हो गया। चोटों के कारण मुझे शारीरिक एवं मानसिक वेदना भुगतनी पड़ी है। इसी अनुरूप प्रतिकर राशि दिलवाई जावे। अपने शपथपत्र के समर्थन में प्रार्थी की ओर से अपना चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श 12, स्थायी अयोग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 18, डी.एल. प्रदर्श 19ए एवं मैडिकल बिल, पर्चियां, डिस्चार्ज टिकिट वगैर दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया एवं प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि प्रदर्श 20 लगायत प्रदर्श 61 मैडिकल बिल

व पर्चियां फर्जी पेश की हों। मैंने इलाज की दवाईयां अलवर व जयपुर से खरीदी थी। हसीना मेरी घरवाली है। साहुन खां मेरा भाई है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना में मेरी दो अंगुली टूटी हों और कंधा उतरा हो, बल्कि मेरा दाहिना हाथ पूर्ण रूप से खराब हो गया, गवाह ने अपना दाहिना हाथ दिखाया। यह कहना गलत है कि मैं दुर्घटना के बाद काम पर चला गया हूँ। दूदू अस्पताल में मेरे बयान नहीं हुए। यह कहना गलत है कि मैं सही हो गया हूँ। यह कहना गलत है कि मुझे 6000 रुपये वेतन नहीं मिलता हो। यह सही है कि मैंने वेतन प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। मैं संदीप मोटर के नौकरी करता था। यह बात सही है कि जब हम चेचिस छोड़ने जाते हैं, जब हम एक दिन के 175 रुपये रोज व आने का किराया अलग से मिलता है। यह कहना गलत है कि महीने में एक-दो बार चेचिस छोड़ने का मौका मिलता हो, बल्कि हम 10-10 बाद चेचिस छोड़ने जाते हैं। यह सही है कि मैंने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है कि जिस चेचिस की टक्कर का मुकदमा चल रहा है, उसको ले जाने में मुझे कोई आदेश मिला हो। यह बात सही है कि मैंने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया कि मुझे चेचिस छोड़ने का 175 रुपये मिला हो। यह कहना गलत है कि मेरी कोई हड्डी टूटी नहीं हो। यह सही है कि मैंने एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे पेश नहीं किया। स्थायी अयोग्यता प्रमाण पत्र जयपुर से बनवाया था।

प्रार्थी के सुयोग्य विद्वान अभिभाषक का तर्क रहा है कि दुर्घटना से पूर्व प्रार्थी भारी परिवहन यान चलाने का कार्य करता था, जिसे 6000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप चोटें आने के कारण वह वाहन का संचालन नहीं कर सकता, उसे गंभीर व साधारण उपहृतियां कारित हुई हैं तथा लम्बे समय तक वह अस्पताल में भर्ती रहा है, उसका ऑपरेशन भी हुआ है तथा चोटों के परिणामस्वरूप उसे 36.23 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता कारित हुई है। चोटों के परिणामस्वरूप वह भारी सामान नहीं उठा सकता, स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकता, इन सभी परिस्थितियों को व चोटों की प्रकृति को देखते हुए प्रतिकर राशि का निर्धारण किया जावे।

इसके विपरीत बीमा कम्पनी के सुयोग्य विद्वान अभिभाषक का तर्क रहा है कि प्रार्थी की ओर से आय के संबंध में सुदृढ़ दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है तथा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श 19 सक्षम अधिकारी को सरेण्डर कर दिया हो। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी की ओर से मैडिकल

विशेषज्ञ को परीक्षित नहीं करवाया गया है, ऐसी स्थिति में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र को साबित नहीं माना जा सकता एवं स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में जो स्थायी निर्योग्यता दर्शित की गई है, वह पूरे शरीर की नहीं होकर प्रार्थी के शरीर में दुर्घटना के परिणामस्वरूप जो चोटें आई हैं, उसी के अनुरूप रही हैं तथा मैडिकल बिलों के साथ पूरे इलाज की पर्चियां पेश नहीं की गई है। अतः इन तथ्यों पर प्रतिकर निर्धारण के समय पर विचार किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं वितर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

जहाँ तक दुर्घटना के वक्त प्रार्थी की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में क्लेम याचिका में प्रार्थी ने अपनी आयु 25 वर्ष अंकित की है, इस संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी का डी.एल. प्रदर्श 19 का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी की जन्म तिथि दिनांक 06.07.1983 अंकित है तथा दुर्घटना दिनांक 21.06.06 की रही है, ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय प्रार्थी की आयु लगभग 23 वर्ष रही है।

जहाँ तक प्रार्थी के शरीर पर आई स्थायी निर्योग्यता का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी की ओर से स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 18 प्रस्तुत किया है, जो जयपुरिया हॉस्पिटल, जयपुर के मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मैडिकल बोर्ड के द्वारा प्रार्थी के शरीर पर आई चोटों के आधार पर 36.23 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता जारी की गई है। इस संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन प्रपत्र एवं स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र का अवलोकन किया, जिनके अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी को दाहिनी भुजा (कलाई) में व जबड़े में अस्थि भंग कारित हुए हैं, परन्तु प्रार्थी के द्वारा कोई एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है और न ही किसी मैडिकल विशेषज्ञ को परीक्षित करवाया गया है, जो प्रार्थी के शरीर पर आई चोटों के बारे में एवं उसकी कार्यक्षमता के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तर पूर्वक बता सकता था। मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 18 के अनुसार जबड़े की चोट के लिये 7.5 प्रतिशत, दाहिनी भुजा (कोहनी) की चोट के लिये 12.10 प्रतिशत एवं कलाई की चोट के लिये 16.63 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आंकी गई है, जो कुल 36.23 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता दर्शित की गई है, परन्तु इस संबंध में प्रार्थी की ओर से किसी मैडिकल विशेषज्ञ को परीक्षित नहीं करवाया गया है और न ही बीमा कम्पनी को उससे प्रतिपरीक्षा का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शरीर पर आई चोटों के आधार पर जो स्थायी

निर्योग्यता जारी की गई है, वह पूरे शरीर की नहीं होकर उसके शरीर के जिन हिस्सों में चोटें आई हैं, उसके आधार पर जारी की गई है, ऐसी स्थिति में मैडिकल विशेषज्ञ की साक्ष्य के अभाव में उक्त स्थायी निर्योग्यता पूरे शरीर की होना नहीं मानी जा सकती। प्रार्थी के जबड़े में आई चोट के कारण उसकी कार्यक्षमता पर किस प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ा है, यह प्रार्थी स्पष्ट करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से मात्र ग्यारह हजार रुपये की राशि के मैडिकल बिल प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि प्रार्थी को दो स्थान पर अस्थि भंग कारित हुए हैं, उसका ऑपरेशन हुआ है तथा उसका लम्बे समय तक इलाज चला है, प्रार्थी की एल्बो, रिस्ट व जबड़े में चोटें कारित हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की स्थायी निर्योग्यता 20 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

जहाँ तक प्रार्थी की आय का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी ने स्वयं को संदीप मोटर्स के यहाँ नौकरी करना बताया है तथा भारी परिवहन यान चलाने का कार्य करना बताया गया है तथा उसे 6000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलना बताया है, परन्तु इस संबंध में प्रार्थी की ओर से संदीप मोटर्स के यहाँ नौकरी करने के संबंध में कोई नियुक्ति पत्र, वेतन प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी की 6000 रुपये मासिक आय साबित नहीं मानी जा सकती। चूंकि प्रार्थी के द्वारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का कार्य करना बताया है तथा यह स्वीकृत तथ्य है कि दुर्घटना के समय भी वह चेचिस का संचालन कर रहा था तथा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रस्तुत हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रकट है कि प्रार्थी ड्राइवर की योग्यता रखता था, परन्तु प्रार्थी के द्वारा अपना लाइसेंस विभाग को सरेण्डर कर दिया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, जिसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि उसके द्वारा वाहन चलाने का कार्य बंद कर दिया हो। चूंकि प्रार्थी एक ड्राइवर रहा है, जो एक कुशल मजदूर की श्रेणी में आता है, चूंकि दुर्घटना सन् 2006 की रही है, ऐसी स्थिति में राजस्थान में तत्समय कुशल श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की मासिक आय 3000/—रुपये, तदनुसार वार्षिक आय 36000/—रुपये निर्धारित की जाती है। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि प्रार्थी के शरीर पर आई चोटों के कारण उसका लम्बे समय तक इलाज चला है तथा वह 12 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वह दो माह तक

अपना कार्य नहीं कर सका होगा। अतः उसे 2 माह की आय की क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी की वार्षिक आय 36000/-रुपये निर्धारित की गई है तथा उसके शरीर पर आई स्थायी अपंगता 20 प्रतिशत निर्धारित की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त आय का 20 प्रतिशत 7200/-रुपये होता है, जिसके अनुसार ही प्रार्थी प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि वक्त दुर्घटना प्रार्थी की उम्र 23 वर्ष निर्धारित की गई है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को भविष्य में हुई आय की क्षति के मद में प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु माननीय न्यायिक दृष्टांत सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टी.ए.सी. 2009 (2) पेज 677 (एस.सी) में प्रतिपादित मतानुसार प्रार्थी को हुई कुल आय की क्षति हेतु 18 का गुणांक प्रयोग में लिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :-

20 प्रतिशत स्थायी 7200 × 18	=1,29,600/रुपये
अपंगता आने से आय की क्षति	
2 गंभीर चोट हेतु	= 10,000/रुपये
12 दिन अस्पताल में भर्ती रहने	= 6,000/रुपये
का 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब	
से व अटैन्डेन्ट के लिये	
चिकित्सा पुर्नभरण बिल	= 11,141/रुपये
दो माह की आय की हानि के मद में	= 6,000/रुपये
शारीरिक व मानसिक वेदना के मद में	= 20,000/रुपये
कुल राशि :-	<hr/> 1,82,741/रुपये <hr/>

इस प्रकार प्रार्थी प्रतिकर राशि के रूप में 1,82,741/रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। शेष राशि की मांग साक्ष्य अभाव में निरस्त की जाती है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 का निर्णय प्रार्थी के पक्ष में किया जाता है।

### **:: आदेश ::**

चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.03.2016 की अनुपालना में विवाद्यक संख्या-2 को पुनः



विनिश्चित किया गया है, तदनुसार रूपान्तरित आदेश पारित किया जा रहा है।

प्रार्थी इलियास की क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम कुल क्षतिपूर्ति राशि 1,82,741/—रुपये की वसूली हेतु अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 3 के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथकतः स्वीकार की जाती है। क्लेम याचिका में अंकित शेष राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। पूर्व में इस अधिकरण के द्वारा दिनांक 03.01.2015 को अप्रार्थी संख्या-1 से 3 के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथकतः 2,98,141/—रुपये प्रतिकर राशि का एवार्ड पारित किया गया था, जो राशि प्रार्थी द्वारा मय ब्याज प्राप्त कर ली गई है। चूंकि प्रार्थी के द्वारा पूर्व में ही एवार्ड राशि से 1,15,400/—रुपये की अधिक राशि मय ब्याज प्राप्त कर ली गई है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा जो अधिक प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली गई है, वह बीमा कम्पनी को अदा करने का अधिकारी है। प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त 1,15,400/—रुपये की राशि तीस दिनों के भीतर अप्रार्थी संख्या-3 बीमा कम्पनी को जमा करावें। प्रकरण का व्यय पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।

( रूपा गुप्ता )

निर्णय आज दिनांक 09.11.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

( रूपा गुप्ता )